



117

- 1 -

न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0

/ 14 पुनरीक्षण R 2202-114

सेवकराम पुत्र श्री भीकम सिंह जाति लोधी
आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम हाँसुआ तहसील
व जिला विदिशा, म0प्र0

आवेदक

बनाम

- रामचरण पुत्र वीरा जाति प्रजापति आयु 46
वर्ष, निवासी ग्राम हाँसुआ तहसील व जिला
विदिशा, म0प्र0
- म0प्र0 शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय,
विदिशा, म0प्र0

अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू0 राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 05.06.2014 सीमाकंन न्यायालय तहसीलदार महोदय
विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 29 / अ12 / 13-14 में पारित।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

- यहकि, आवेदक ग्राम हाँसुआ जिला विदिशा स्थित भूमि क्रमांक 7/1 रकवा 1.314 हैव0 का भूमि स्वामी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/2 रकवा 0.063 हैव0 अहमदपुर रोड में उत्तर तरफ शामिल है। जिससे अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि
लगी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/1 में मकान, कुंआ, आम के पेड़ स्थित हैं।
- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 तथा 4 अन्य अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय
विदिशा ने समक्ष स्वयं की भूमि क्रमांक 7/4 का सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया।
- यहकि, तहसीलदार महोदय विदिशा द्वारा सीमांकन के लिये, प्रतिवेदन, पंचनामा
सहित प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया।

R/15

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2202-एक/2014 निगदानी

जिला विदिशा

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाबा को के हस्ताक्षर
5-६-१६	<p>यह निगरानी तहसीलदार विदिशा व्हाया प्रकरण क्रमांक 29 अ-12/2013-14 में पाइत आदेश दिनांक 5-6-2014 के विलम्ब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सार्वो यह है कि अनावेदक क्र-1 रामचरण पुत्र तीरा निवासी ग्राम हांसुआ ने तहसीलदार विदिशा को उसके स्वामित्व की ग्राम हांसुआ विथ भूमि घर्व नंबर 7/4 के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 29 अ-12/13-14 पंजीबद्व कर सीमांकन के निर्देश जारी किये। पटवारी हलका नंबर 86 से दिनांक 30-5-14 को मौके पर जाकर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार विदिशा को प्रस्तुत किया। पटवारी व्हाया प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार विदिशा ने आदेश दिनांक 5-6-14 पाइत किया तथा पटवारी व्हाया प्रस्तुत प्रतिवेदन को यह लिखकर अतिमता प्रदान की कि प्राप्त आवेदन पत्र पर सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को भेजा गया। राजस्व निरीक्षक व्हाया सीमांकन कर प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया है। इसी आदेश के विलम्ब यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।</p> <p>3/ निगरानी मेंगो में अकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एम०के०जैन एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री वाई०एस०भद्रौरिया को सुना गया। आवेदक की ओट से प्रस्तुत लेखी बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 29 अ-12/13-14 का अवलोकन किया गया।</p> <p>4/ तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 29 अ-12/13-14 में राजस्व निरीक्षक का सीमांकन प्रतिवेदन अथवा पंचनामा संलग्न नहीं है अपितु पटवारी हलका नंबर</p>	

प्रकरण क्रमांक २२०१-एक/२०१४ निगरानी

86 श्री अतुल श्रीवास्तव व्हारा दिनांक 30-5-14 को स्थल पर किये गये सीमांकन का प्रतिवेदन संलग्न है जिसे तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन मानने में भूल की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत विरचित नियमों के अधीन सीमांकन कार्यवाही हेतु तहसीलदार को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तथा असाधारण राजपत्र दिनांक 23-12-10 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-२-२३-२०१० दिनांक 23 दिसंबर 2010 के अनुसार इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई हैं किन्तु संहिता की धारा 129 के अधीन इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता (नाथूराम विलद्व नरोत्तम कुमार 1971 दाठनि 252 से अनुसरित) जबकि विचाराधीन प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही पटवारी व्हारा की गई है जिसके कारण तहसीलदार विदिशा व्हारा प्रकरण क्रमांक 29 अ-१२/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-६-२०१४ ऋटिपूर्ण होने से इष्ट रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ यदि तहसीलदार विदिशा व्हारा प्रकरण क्रमांक 29 अ-१२/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-६-२०१४ नियम एंव प्रक्रिया के विलद्व पाये जाने से निरस्त किया जाता है तब सीमांकन कराने वाला कृषक सीमांकन के लाभ से बंचित होगा, जिसके कारण तहसीलदार विदिशा व्हारा प्रकरण क्रमांक 29 अ-१२/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 5-६-२०१४ निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनावेदक क्र-१ की भूमि का राजस्व निरीक्षक से अथवा अधीक्षक/उप अधीक्षक भू अभिलेख से पुनः सीमांकन करावे तदुपर्यांत प्रकरण में पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।


सदस्य


सदस्य